@SHAJAHANPURPOL

प्रेस नोट-सहारनीय कार्य 11.06.2022

थाना जलालाबाद पुलिस ने डबल मर्डर हत्याकांड का 48 घण्टे के अन्दर किया खुलासा,

02 अभियुक्त गिरफ्तार, आला कत्ल रक्तरंजित कुल्हाडी व डण्डा बरामद ।

दिनाँक 08/06/2022 को मुकदमा वादी श्री सर्वेश कुमार पुत्र श्री बाबूराम नि0ग्राम डहर थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर के द्वारा लिखित तहरीर दाखिल कर अवगत कराया कि उसके भाई रमनपाल उर्फ राजेश व उसकी प्रेमिका ममता की दिनाँक 08/06/22 की शाम को समय 5.30 बजे ममता के पति ओमपाल, लडको अन्य सोनू , दीपू व उनके दोस्त प्रमोद व विनोद पुत्रगण शेर सिह द्वारा लाठी व कुल्हाडी से मारकर हत्या कर दी गयी, जिसके सम्बन्ध मे थाना जलालाबाद पर दि0 08.06.22 को मु0अ0स0 419/22 धारा 147/148/34/302/323/506 IPC पंजीकृत किया गया ।

श्री एसआनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्यों का संकलन कराया गया तथा श्री संजीव कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष जलालाबाद जयशंकर सिह के नेतृत्व मे पुलिस टीम गठित कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिए गए ।

इसी क्रम में दिनांक 10/06/22को समय 16:25 मुखबिर की सूचना पर ओमपाल के घर से नामित 02 अभियुक्तों 1- ओमपाल पुत्र राजपाल 2- प्रमोद कुमार पुत्र शेर सिंह को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों की निशानदेही पर मूंगफली के खेत से डण्डा खून लगा और एक कुल्हाडी रक्त रजित बरामद किये गये । इस सम्बन्ध मे अभियुक्तगण को के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1- ओमपाल पुत्र राजपाल नि0ग्राम डहर थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर

2- प्रमोद कुमार पुत्र शेर सिह नि0ग्राम डहर थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर ।

***बरामदगी*—**

1- आला कत्ल एक अदद डण्डा व एक अदद कुल्हाडी रक्तरंजित ।

***विवरण पुछताछ* ----**

ओमपाल सिंह ने पूछने पर बताया मेरी शादी आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व ममता पुत्री दुर्जन निवासी राजेपुर जिला फर्रूखाबाद से हुई थी । शादी के बाद वह अपने परिवार सहित गांव डहर में रहता था । उसके ही गांव का उसका दोस्त रमनपाल उर्फ राजेश पुत्र बाबूराम का उसके घर आना जाना था तथा उसके मेरी पत्नी से नाजायज

सम्बन्ध हो गये जिसकी मुझे जानकारी नही हो पाई थी। मैने अपनी पत्नी के नाम 1.5 वीघा जमीन भी नाम करा दी थी तथा ममता ने वह जमीन राजेश को दे दी थी। ममता से उसके चार बच्चे 1. अमित 2. सोनू, 3. दीप व 4. कोमल हुये। प्रमोद उसकी पत्नी के नाम की 1.5 बीघा जमीन पर बटाई पर खेती करता था। राजेश वह जमीन अपनी बताता था। आज से लगभग 15-20 वर्ष पहले वह अपनी पत्नी ममता व राजेश के साथ पानीपत नौकरी करने चले गये। वहां पर राजेश उसकी गैरमौजूदगी में उसकी पत्नी से मिलता जुलता था लेकिन लोक लाज के डर से मैने किसी से नही कहा। उसके बच्चे वालिग व शादी शुदा हो गये थे उन्हे भी अपनी मां ममता का रमनपाल उर्फ राजेश से नाजायज रिश्ता अच्छा नहीं लगता था। वह और उसके बच्चे अक्सर इस बात को लेकर ममता को समझाते थे। किन्तु ममता कुछ मानने को तैयार नहीं थी।

राजेश अपने भाईयों में सबसे बड़ा था और उसकी शादी नहीं हुई थी। 02 वर्ष पहले लाकडाउन के समय वह अपनी पत्नी और बच्चो सहित गांव आ गया तो ममता मुझे छोडकर खुलेआम रमनपाल उर्फ राजेश के साथ बतौर पत्नी रहने लगी। रमन पाल उर्फ राजेश मेरी पत्नी की जमीन जिस पर प्रमोद बटाई पर खेती कर रहा था को प्रमोद से खाली करने के लिए बार बार कहता था और शराब पीकर गाली गलौच करता था। मेरे खेत के पास ही राजेश का भी खेत है और वही पर प्रमोद का बटाई का भी खेत है।

दिनांक 08.06.2022 की शाम के समय लगभग 05.00 बजे के बाद वह और उसका लड़का अमित और सोनू अपने दरवाजे पर थे जबकि प्रमोद नाले पर खेत के पास था और कुल्हाडी से लकडी काट रहा था तो रमनपाल उर्फ राजेश उसके दरवाजे के सामने से डण्डा लेकर शराब के नशे में प्रमोद को मारने की बात कहते हुये जा रहा था। अनहोनी की आशंका होने पर मै और मेरे पुत्र डण्डा लेकर राजेश के पीछे पीछे आये। नाले के पास पहुंचकर रमनपाल उर्फ राजेश ने प्रमोद को गाली देना शुरु कर दिया तो प्रमोद ने उसके धक्का दिया तो राजेश ने प्रमोद के सिर पर डण्डा मार दिया जिससे प्रमोद के सिर से खून निकलने लगा। हम लोगो ने मौके पर बीच बचाब करने का प्रयास किया तो मारपीट शुरु हो गयी। मौका पाकर प्रमोद ने कुल्हाडी के पिछले हिस्से से रमनपाल के सिर पर वार किया जिससे राजेश चक्कर खाकर वेहोश होकर गिर गया फिर हम लोग ने उसकों पीट पीट कर लाठी डण्डों से पीट कर मार डाला। शोर सुनकर मौके पर ममता और राजेश के भाई अजय और सर्वेश आ गये तो मैं और प्रमोद मूगंफली के खेत की तरफ भागे व अमित और सोनू प्रधान के घर की ओर भाग गये। मैने और प्रमोद ने अपना डण्डा और कुल्हाडी प्रमोद के बटाई के मूगफली के खेत में छिपा दिया था। डण्डा छिपाकर मैं डरकर भाग गया जबकि प्रमोद चोट लगने के कारण नहीं भाग पाया और मूगफली के खेत में छिपा रहा। मुझे पता चला है कि सर्वेश ने पुलिस को आधी सच्चाई बतायी है और ममता को खुद मारकर आरोप हम लोगों के मत्थे डाल दिया है। हम लोगों ने सिर्फ रमनपाल उर्फ राजेश को मारा है। आरोपीगण की निशादेही पर मुगफली के खेत से घटना मे प्रयुक्त एक डण्डा खून लगा और एक कुल्हाडी रक्तरंजित बरामद की गयी। शेष अभियुक्तगण की घटना मे संलिप्ता के सम्बन्ध मे साक्ष्य संकलन किया जा रहा है तथा गिरफ्तारी हेतु तीन टीमे गठित कर दी गयी है।

इसके अतिरिक्त सर्विलान्स के माध्यम से आरोपीगण की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। अभियुक्त प्रमोद ने भी पुछताछ मे ओमपाल द्वारा बतायी गयी बात का समर्थन किया है। प्रकाश मे आये अभियुक्त सर्वेश से पूछताछ की जा रही है।

<u>*पंजीकृत अभियोग*—</u>

1- मु0अ0स0 419/22 धारा 147/148/34/302/323/506 IPC

<u>*पुलिस टीम का विवरण*</u>

1. थानाध्यक्ष श्री जयशंकर सिह
2. उ0नि0 श्री राजवीर सिह
3. है0का0 348 अतुल कुमार
4. का0 1741 विपिन पुनिया
5. का0 1726 डिपेन्द्र कुमार